न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

113/2012
एमएस : 2012/00282

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर पैरोकार राजं।

प्रार्थी/वादी

बनाम

गुरमेलसिंह पुत्र हरनामसिंह जाति जटसिख साकिन 22 पीएस तहसील रायसिंहनगर।

–:अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 राज0 काश्त0 अधि0 1955

तारीख रजू 27.07.2012

थतअधिवक्तागण
राजपैरोकार सरकार ।
श्री भीम भादू अधि. प्रति.सं. 1।

–: निर्णय :– दिनांक : 29.09.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है मुताबिक चक 22 पीएस का मु.नं. 34 प.नं. 201/289 कि.नं. 21/.202, 22/.220, 23/1/0.114 कुल .539 है. नहरी के रकबा के संबंध में राजस्व रिकार्ड जामबन्दी चौसला में संवत 2065–2068 में श्री गुरमेल सिंह पुत्र हरनाम सिंह जाति जटसिख साकिन देह खातेदार दर्ज है जिसका वाद न्यायालय में पेश किया जा चुका है रिपोर्ट पटवारी हल्का 22 पीएस के अनुसार इस रकबा में प्रतिवादी 1 के द्वारा बिना भूमि रूपान्तरण करवाये एवं नगर नियोजक विभाग की अनुमति के बिना कॉलोनी काटकर अवैध रूप से प्लाटों का विक्रय किया है और किया जा रहा है जिसमें से अधिकाश प्लाटों का विक्रय किया जा चुका है कि खातेदारों द्वारा उक्त भूमि की पानी की बारी का अन्य रकबा में उपयोग किया जा रहा है जबकि यह रकबा कॉलोनी हेतु प्लाट काटकर विक्रय किया जा चुका है जिसमें वर्तमान में कोई फसल काश्त नहीं हो रही है। अप्राथीगण/प्रतिवादी द्वारा कृषि भूमि पर बिना बैद्य स्वीकृति व रूपान्तरण राशि जमा करवाये अवैध रूप से कॉलोनी काटकर अतिचार किया जा रहा है। यदि उन्हे रोका नहीं गया तो राज्य पक्ष अपूर्णीय क्षति होगी। बिना किसी प्लान के अवैध कॉलोनिया का निर्माण हो जाएगा। जो आगामी विकास में बाधा बनेगी। वाद पत्र श्रीमान् जी के न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है। वाद अन्दर मियाद है। वाद राज्य हित में होने के कारण कोर्ट फीस शुल्क से मुक्त है। अन्य तथ्य वर वक्त बहस अर्ज फरमाये जायेगे। अप्रार्थीगगण/प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा उपरोक्त भूमि पर बिना भूमि रूपान्तरण करवाये आवासी प्लाट काटकर विक्रय कर अतिचार किया जा रहा है। इस प्रकार कृषि भूमि के बिना भूमि रूपान्तरण करवाये प्लाट काटकर विक्रय किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 1955 की धारा 177 की दण्डनीय होने के कारण भूमि पर अतिचार व अवैध कॉलोनी निर्माण हो रोकने के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212(2) के तहत रिसीवर नियुक्त किया जाना उचित होगा। अतः वाद दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त [illegible] रकबा राज घोषित किया जाकर बहक सरकार लिये जाने के आदेश प्रदान [illegible]
2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी [illegible] जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की [illegible] से श्री भीम भादू [illegible] ने वकालतनामा पेश किया। जो शामिल किया गया [illegible] से जवाब दावा पेश नहीं करने पर जवाब दावा बन्द किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.10.15 10:32:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned with OKEN Scanner

हम विधिक तनकीयात कायम कर निर्णय करना उचित समझते है निम्न तनकीयात कायम की गई।

1. आया कि विवादित भूमि चक 22 पीएस का मु.नं. 34 प.नं. 201/289 कि.नं. 21/.202, 22/.220, 23/1/0.114 कुल .539 है. नहरी भूमि श्री गुरमेल सिंह पुत्र हरनाम सिंह जाति जटसिख साकिन देह खातेदार दर्ज है —:राजपैरोकार
2. आया कि खातेदार द्वारा विवादित भूमि को बिना रूपान्तरण कराये एवं नगर नियोजन विभाग की अनुमति के बिना अवैध रूप से कॉलोनी को काटकर प्लाटों का विक्रय कर अतिचार कराया गया है। —:राजपैरोकार
3. आया कि प्रतिवादी खातेदार द्वारा कृषि भूमि को बिना संपरिवर्तन कराये अवैध रूप से कॉलोनी काट कर राज्य सरकार को अपूर्णीय क्षति होने से धारा 177 आर.टी.ए. के तहत दण्डनीय होने से रकबाराज घोषित किया जा सकता है। —:राजपेरोकार
4. आया कि वादी को प्रतिवादी के विरूद्व बिनाय दावा बिनाय मुखास्मत करने का अधिकारी नहीं है। —:प्रतिवादी
5. आया कि विवादित भूमि को नियम 90 ए के तहत नियमन हो चुका है। इसलिए वाद काबिल खारिज है। —: प्रतिवादी
6. अनुतोष।

4. साक्ष्य वादी में सरकार की तरफ से राजपैरोकार का कथन है कि दावा पत्र व पटवार हल्का की मौका रिपोर्ट व तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज ही साक्ष्य माने जावे। सरकार की तरफ से अन्य कोई साक्ष्य वास्ते दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गये। अतः साक्ष्यवादी बन्द किया गया।

5. प्रतिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु कई मौके दिये गये परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा न तो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया और न ही प्रतिवादीगण को अधिवक्ता न्यायालय में हाजिर आया।

6. हमने सरकार की तरफ से नियुक्त राजपेरोकार नायब तहसीलदार समेजा कोठी की एकपक्षीय बहस सुनी। व स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा विवादित भूमि का मौका निरीक्षण किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता के द्वारा जवाब दावा पेश नहीं किया गया है जवाब दावा बंद किया जाता है अतः तकीयात का निर्णय करना उचित नहीं हैं मौके पर उक्त विवादित भूमि पर बिना भू. रूपान्तरण करवाये मकानों का निमार्ण किया हुआ है तथा मौके पर लोग मकान बना कर निवास कर रहे है। मौका निरीक्षण तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली–भांति अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। हम प्रकरण का तनकी वार पृथक–पृथक विवेचन करते हुए निर्णय करना आवश्यक समझते है जो निम्नानुसार हैः–

–:आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/वादी/राजपैरोकार तनकीयात को सिद्व करने में सफल रहे है। खातेदार/प्रतिवादी द्वारा कृषि भूमि को बिना संपरिर्वतन करवाये/ बिना नगर नियोजन विभाग की अनुमति के छोटे–छोटे भूखण्डों /प्लाटों के रूप में विक्रय किया जा रहा है यह कृषि भूमि के लिए अहितकर है तथा जिस प्रयोजन के लिए भूमि खातेदार को दी गई थी उस प्रयोजन के विपरीत है तथा राज. काश्तकारी अधि. 1956 व भू.राजस्व अधि. 1956 की धारा 90ए के प्रवधानों का उल्लघंन किया गया है तथा राज्य सरकार की नीतियों का सरासर उल्लघंन है। अतः उपयुक्त वादीग्रस्त रकबा चक 22 पीएस का मु.नं. 34 प.नं. 201/289 कि.नं. 21/.202, 22/.220, 23/1/0.114 कुल .539 है. भूमि को रकबाराज घोषित किया जाता है। तहसीलदार रायसिंहनगर को उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में रकबाराज दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं तथा राजस्व रिकार्ड में रकबाराज दर्ज कर कब्जा बहक सरकार लिया जावे। [illegible] की जारी हो। पत्रावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.10.15 10:32:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned with OKEN Scanner

फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाषचन्द्र(आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्डअधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 29.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाषचन्द्र(आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.10.15 10:32:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आदेश 20 रूल 6–7 जाब्ता : दीवानी)
C/VIL PROCEDURE CODE APPENDIX D-1
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मुकाम रायसिंहनगर
बईजलास :सुभाषचन्द्र आर.ए.एस.

113/2012
एमएस : 2012/00282
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर पैरोकार राजं।
प्रार्थी/वादी

बनाम

गुरमेलसिंह पुत्र हरनामसिंह जाति जटसिख साकिन 22 पीएस तहसील रायसिंहनगर।
–:अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 राज0 काश्त0 अधि0 1955

–: निर्णय :–

दिनांक : 29.09.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई बरूबरू हमारे बहाजरी राजपैरोकार, श्री भादू अधिवक्ता प्रतिवादीगण पेश होकर हुकम दिय जाताहै एवं डिक्री की जाती है वादपत्र अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, का प्रकरण भली–भांति साबित पर स्वीकार किया जाता है। उक्त वाद में राज. काश्तकारी अधि. 1956 व भू.राजस्व अधि. 6 की धारा 90 ए के प्रवधानों का उल्लघंन किया गया है तथा राज्य सरकार की नीतियों सरासर उल्लघंन है। अतः उपयुक्त वाद ग्रस्त एकबा चक 22 पीएस का मु.नं. 34 प.नं. /289 कि.नं. 21/.202, 22/.220, 23/1/0.114 कुल .539 है. नहरी भूमि को रकबाराज बेत किया जाता है। तहसीलदार रायसिंहनगर को उक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड में रकबाराज करने के आदेश दिये जाते है तथा राजस्व रिकार्ड में रकबाराज दर्ज कर कब्जा बहक कार लिया जावे।

डिक्री आज दिनांक 29.09.2025 को जारी की गई।

{सुभाषचन्द्र(आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्डअधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
दिनांकः– 29.09.2025

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

मांकः रीडर/2025/1320
तिलिपिः–
1. तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित है।

{सुभाषचन्द्र(आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.10.15 10:32:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner